उत्तरांचल शासन
कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–1
संख्या–464 / XIII / 2005–3(7) / 2005
देहरादूनः दिनांक 4 दिसम्बर, 2005

कार्यालय आदेश

श्री पवन कुमार, तत्कालीन मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून को वित्तीय वर्ष 2003–04 में उनके अकर्तव्यशील / अनुत्तरदायित्व कार्य में दोषी पाये जाने के कारण निम्न प्रतिकूल प्रविष्टि दी गईः–

"श्री पवन कुमार, मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा मण्डलीय बैठकों को गम्भीरता से नहीं लिया गया है, जिससे मण्डल स्तर पर जनपद देहरादून की कृषि योजनाओं का कार्य वाधित होता रहा तथा कृषि कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में श्री कुमार द्वारा गैर तकनीकी कर्मचारी को भाग लेने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके द्वारा विभागीय कार्यों की समीक्षा किये जाने पर बहुत कठिनाई महसूस की गयी। इस संबंध में आयुक्त, गढ़वाल मण्डल द्वारा अपने स्तर से भी इस तथ्य को शासन एवं विभागाध्यक्ष के संज्ञान में लाया गया। श्री कुमार द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशों के बावजूद जनपद की बीज योजना तैयार नहीं की गई एवं अनुस्मारकों के प्रेषण करने के बावजूद जो योजना प्रेषित की गई वह तकनीकी रूप से सही नहीं थी। उच्च अधिकारियों के द्वारा निर्गत किये गये निर्देशों का कभी भी समय से पालन नहीं किया गया इस निमित्त मण्डल स्तर से प्रेषित निर्धारित रूप–पत्र पर भी इनके द्वारा सूचना प्रेषित नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त श्री कुमार द्वारा सहायक निदेशक, जलागम, कालसी द्वारा प्रेषित योजनाओं का तकनीकी अनुमोदन जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति की बैठक से पहले अनुमोदित की जानी चाहिये थी ततपश्चात परियोजनाओं में कार्य करवाया जाना था जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया। परियोजनाओं में वित्तीय वर्ष 2003–04 तक भी कार्य नहीं कराया गया। मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून ने अपने कार्यालय पत्रांक–276, दिनांक 5–5–2004 के द्वारा सूचित किया गया कि अभी तक परियोजनायें अनुमोदित नहीं की गई है। पुनः माह जुलाई 2004 की बैठक में उनके द्वारा बताया गया कि अब परियोजनायें अनुमोदित की गई है। मुख्य कृषि अधिकारी को उच्चाधिकारियों द्वारा प्रदत्त परियोजनाओं के अनुमोदन करने के अधिकारों का सही ढ़ंग से कियान्वयन नहीं किया गया है। इस प्रकार

अनुमोदित परियोजनाओं में तकनीकी खामियां एवं वित्तीय अनियमितता होने की पूर्ण सम्भावना है। श्री कुमार विभागीय कार्यों के हित में ना स्वंय जानकारी रखते हैं और न ही इस निमित्त उच्चाधिकारियों के निर्देशों का पालन करते है। इनके जनपद की कृषि संवर्धन फार्म बीज एवं उर्वरक संबंधी तुलन पत्रों की प्रगति घोर असंतोषजनक है। श्री कुमार मनमाने तरीके से काम करने के आदि हैं।"

श्रेणी–खराब

सत्यनिष्ठा–संदिग्ध

श्री पवन कुमार, मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून वर्ष 2003–04

श्री पवन कुमार दिनांक 1–4–2003 से 28–9–2003 तक उप कृषि निदेशक, कुमायूं मण्डल, नैनीताल के पद पर एवं दिनांक 29–9–2003 से 17–12–2003 तक उप निदेशक, कृषि विपणन के पद पर कार्यरत रहे। इस अवधि में उक्त पदों का इनका कार्य सन्तोषजनक रहा।

दिनांक 15–10–2003 से 31–3–2004 तक मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून के कार्यकाल के संबंध में प्रतिवेदक अधिकारी संयुक्त कृषि निदेशक, पौड़ी द्वारा दिये गये मन्तव्य में मुझे पृथक से कुछ और नहीं कहना है।

सत्यनिष्ठा के संबंध में ठोस पुष्ट तथ्य न होने से सत्यनिष्ठा संदिग्ध करना नियमानुसार नहीं है।

सत्यनिष्ठा प्रमाणित।

कृषि निदेशक

समीक्षक अधिकारी की आख्या से सहमत।

सचिव, कृषि

2– उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि को विलुप्त किये जाने के संबंध में श्री पवन कुमार द्वारा महामहिम श्री राज्यपाल महोदय को सम्बोधित प्रत्यावेदन दिनांक 16–3–2005 जो कृषि निदेशक के पत्र सं0–5073, दिनांक 16–3–2005 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है, में प्रतिवेदक प्राधिकारी डा0 गोपाल सिंह रावत, संयुक्त कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा प्रेषित की गई आख्यानुसार परीक्षणोपरान्त स्थिति निम्नवत बनती है:–

श्री कुमार का यह कहना कि उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दिनांक 25–12–2004 को संसूचित की गई, जबकि नियमानुसार माह जून में ही चरित्र प्रविष्टि संसूचित किया जाना चाहिये था, के संबंध में यह

अवगत कराना है कि प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरूद्व प्राप्त प्रत्यावेदन के निस्तारण संबंधी शासनादेश सं0–1712, दिनांक 18–12–2003 के प्रस्तर–8 में दी गई व्यवस्थानुसार श्री कुमार को दिनांक 15–4–2004 तक अपनी वर्क वर्थ रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिये थी, जबकि उनके द्वारा वर्क वर्थ रिपोर्ट प्रतिवेदक प्राधिकारी को दिनांक 3–6–2004 को प्रस्तुत की है। स्पष्ट है कि श्री कुमार द्वारा अपनी वर्क वर्थ रिपोर्ट समय से प्रेषित नहीं की है, अतः श्री कुमार का यह तर्क कि उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि समय से संसूचित नहीं की गई, कहना निराधार है।

श्री कुमार का यह कहना कि प्रतिकूल प्रविष्टि दिनांक 15–10–2003 से दिनांक 31–3–2004 तक की अवधि के लिये प्रतिवेदक प्राधिकारी, संयुक्त कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी द्वारा दी गई है, जो मेरे समवेतनमान के अधिकारी है, के संबंध में यह कहना है कि डा0 रावत की नियुक्ति संयुक्त कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल के पद पर शासन द्वारा की गई है। इस आधार पर डा0 रावत को मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने का अधिकार है, अतः उनके द्वारा श्री कुमार को दी गई प्रतिकूल प्रविष्टि उनके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत है। अतः श्री कुमार को दी गई प्रतिकूल प्रविष्टि उचित है।

श्री कुमार द्वारा वर्ष 2003–04 की अवधि में आयोजित मण्डलीय बैठकों में उपस्थित न होने के जो तर्क दिये हैं, वे अतार्किक हैं, क्योंकि श्री कुमार द्वारा इन बैठकों में स्वंय भाग नहीं लिया गया एवं कम अनुभवी अतकनीक/अनभिज्ञ कार्मिकों को इन बैठक में भाग लेने हेतु अधिकृत किया, जिस कारण बैठकों में लिये गये निर्णय के अनुसार विभिन्न योजनाओं की समीक्षा एवं अनुश्रवण किये जाने पर समस्या उत्पन्न हुई। श्री कुमार का इन बैठकों में हृदय रोग से पीड़ित होने का पक्ष रखा गया है, के विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि यदि श्री कुमार हृदय रोग से पीड़ित थे तो उन्हें इसकी लिखित सूचना अपने उच्चाधिकारियों को देनी चाहिये थी एवं अवकाश स्वीकृत कराकर अथवा अवकाश का प्रार्थना–पत्र देकर रोग का उपचार कराना चाहिये था, ऐसा श्री कुमार द्वारा नहीं दिया गया। श्री कुमार की बैठकों में अनुपस्थिति को देखते हुए आयुक्त, गढ़वाल मण्डल द्वारा शासन एवं संयुक्त कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल को पत्र लिखा गया एवं आयुक्त द्वारा लिखे गये पत्र के कम में संयुक्त कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल द्वारा श्री कुमार को पत्र दिनांक 10 मार्च, 2004 प्रेषित किया गया जिसका अनुपालन भी श्री कुमार द्वारा नहीं किया गया, अतः श्री कुमार का यह कृत्य स्वेच्छाचारिता एवं गैर जिम्मेदार प्रवृति को दर्शाता है।

बीज योजना तैयार किये जाने के संबंध में श्री कुमार का यह कहना कि इसमें कोई शिथिलता नहीं बरती गई है, के संबंध में यह अवगत कराना है कि यद्यपि श्री कुमार द्वारा बीज योजना तैयार की गई है, लेकिन संयुक्त कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार उन्होंने बीज योजना तैयार नहीं की गई। हरियाली योजना की 11 परियोजनाओं में तकनीकी अनुमोदन हुए बिना इन परियोजनाओं की धनराशि का आहरण वितरण अधिकारी होने के नाते आहरित किया गया, जबकि सहायक निदेशक जलागम, कालसी द्वारा धनराशि आहरित होने के काफी बिलम्ब से दिनांक 31–5–2005 को परियोजनायें अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई एवं इन परियोजनाओं का तकनीकी अनुमोदन आपके स्तर से दिनांक 21–6–2004 को किया गया। उचित तो यह होता कि आप परियोजनाओं पर पहले तकनीकी अनुमोदन देते तत्पश्चात परियोजनाओं में कार्य होने के पश्चात आहरण वितरण अधिकारी होने के नाते परियोजनाओं हेतु रखी गई धनराशि को आहरित करते, अतः स्पष्ट है कि आप उक्तानुसार कार्यवाही न करने के दोषी हैं।

परियोजनाओं के अनुमोदन के संबंध में श्री कुमार का यह तर्क है कि वे 03 जून से 21 जून तक उपार्जित अवकाश पर रहे, अवकाश से लौटने के पश्चात दिनांक 21 जून, 2004 को उनके द्वारा परियोजनाओं का अनुमोदन दिया गया, के विश्लेषण से स्पष्ट है कि श्री कुमार ने अपने प्रत्यावेदन के साथ दिनांक 4–6–2004 से 13–6–2004 तक का आकस्मिक अवकाश लिये जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून को सम्बोधित प्रार्थना–पत्र तो संलग्न किया है लेकिन यह अवकाश सक्षम स्तर से आकस्मिक या उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत हुआ अथवा नहीं, की कोई सूचना नहीं दी है, स्पष्ट है कि श्री कुमार स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाये हैं।

इसी प्रकार कृषि सम्वर्धन पर बीज एवं उर्वरक संबंधी तुलन पत्रों पर प्रगति अंकित किये जाने के संबंध में श्री कुमार का कहना है कि यह तुलन पत्र श्री सुशील कुमार उत्तम एवं श्री बुद्वदेव द्विवेदी जो उनसे पूर्व जिला कृषि अधिकारी 06 वर्षों से कार्यरत थे, के समय से नहीं बना है, जब तक पूर्व वर्षों का तुलन पत्र तैयार नहीं हो जाता तब तक आगे का तुलन पत्र बनाना सम्भव नहीं है। इस संबंध में यह कहना है कि संयुक्त कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल द्वारा तुलन पत्र तैयार करने हेतु अपने प्रधान लिपिक श्री बी0पी0 डोभाल को मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून के कार्यालय भेजा गया, लेकिन मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून के कार्यालय द्वारा उन्हें सहयोग नहीं किया गया जिस कारण तुलन पत्र तैयार नहीं किये जा सके।

अतः श्री कुमार की स्वेच्छाचारिता एवं गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति से शासकीय कार्यों को निस्तारित किये जाने की कार्य प्रणाली को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें वर्ष 2003–04 में दी गई प्रतिकूल प्रविष्टि को विलोपित किये जाने का कोई आधार नहीं है। तद्नुसार श्री कुमार द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि को विलोपित किये जाने के संबंध में शासन को प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन दिनांक 25–1–2005 एवं 16–3–2005 उत्तरांचल सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के विरूद्व प्रत्यावेदन और सहबद्व मामलों का निपटारा) नियमावली, 2002 के नियम 4 के अनुसार ग्राह्य होने योग्य नहीं है, जिन्हें एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(ओम प्रकाश)
सचिव

संख्या–464/XIII/2005–1(261)/2002–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कृषि निदेशक, उत्तरांचल।
2. अपर कृषि निदेशक, पौड़ी/देहरादून।
3. संयुक्त कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौडी/कुमायूं मण्डल हल्द्वानी।
4. श्री पवन कुमार, मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून सम्प्रति उप निदेशक, विपणन, कृषि निदेशालय।
5. चरित्र पंजिका हेतु।
6. गार्ड फाईल/एन0आई0सी04

आज्ञा से,

31.12.05

(विजय ढौडियाल)
अपर सचिव